

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार



चिकित्सीय
आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए
कृपया 112 पर डायल करें।

रजि.न.34300/80 संख्या 304 श्री विजयपुरम, शनिवार, 14 नवंबर 2026 web: dt.andamannicobar.gov.in 2.00 रूपए

माननीय उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाली युवा ट्रैक साइकिल खिलाड़ी सुश्री आई. एस. ब्रिडनी को किया सम्मानित

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नया रिकॉर्ड बनाकर सुश्री ब्रिडनी ने द्वीपसमूह को किया गौरवान्वित





श्री विजयपुरम, 13 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने आज द्वीपसमूह की प्रतिभाशाली युवा ट्रैक साइकिल खिलाड़ी सुश्री आई. एस. ब्रिडनी से भेंट की तथा उनकी उल्लेखनीय खेल उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया।

उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों के अनुसार, 41वीं सब–जूनियर राष्ट्रीय ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप, 2026 में स्वर्ण पदक जीतने के साथ–साथ 37.479 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करना पूरे द्वीपसमूह के लिए अत्यंत गौरव एवं हर्ष का विषय है।

उनका समर्पण, कठिन परिश्रम और उत्कृष्ट प्रदर्शन द्वीपसमूह के युवाओं, विशेषकर युवा बेटियों को बड़े सपने देखने तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देगा। माननीय उप राज्यपाल ने उनके उज्ज्वल भविष्य और आगामी प्रतियोगिताओं में सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।

लोक निवास से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस अवसर पर कोच श्रीमती सीमा राइका, नीदरलैंड की विदेशी सहायक कोच तथा एथलेटिक्स प्रबंधक श्री सूर्यदीप मिश्रा सहित अन्य संबंधित व्यक्ति उपस्थित रहे।

संदेश



'बाल दिवस' के हर्षोल्लासपूर्ण अवसर पर मैं अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सभी बच्चों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।

बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य और आशाओं के सशक्त आधार हैं। उनके सपने, जिज्ञासा, रचनात्मकता और आकांक्षाएँ ही कल के भारत का स्वरूप निर्धारित करेंगी। यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान अवसर तथा ऐसा अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएँ, जिसमें वे अपनी प्रतिभा को निखार सकें और अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर सकें।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अंतर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित 'अंकुरण पहल' कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान की आधारभूत दक्षताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। इसके पोर्टल के माध्यम से नियमित शिक्षण सत्र, मूल्यांकन एवं विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी से उनकी व्यक्तिगत शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिल रही है।

मैं अपने शिक्षकों के समर्पण एवं प्रतिबद्धता की विशेष सराहना करता हूँ, जो दुर्गम एवं दूरस्थ द्वीपों में भी बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

आइए, हम सब मिलकर 'विकसित भारत/2047' के संकल्प को साकार करने के लिए एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करें, जो ज्ञानवान, आत्मविश्वासी, संवेदनशील, रचनात्मक एवं उत्तरदायी नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे।

सभी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ!

(डॉ. दिनेश शर्मा)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

अण्डमान तथा निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ



श्री विजयपुरम, 13 नवंबर।

अण्डमान–निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव एवं अण्डमान तथा निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एएंडएनसीज़ेडएमए) के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश भारती, भा.प्र.से., ने औपचारिक रूप से अण्डमान तथा निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट **https://anczma.andamannicobar.gov.in** का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री एम. राजकुमार, भा.व.से., एपीसीसीएफ (सीआरज़ेड एवं एफसी) एवं सदस्य सचिव, एएंडएनसीजेडएमए, आयुक्त–सह–सचिव सुश्री चंचल यादव, भा.प्र.से. तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

यह वेबसाइट पारदर्शिता, सुलभता और व्यवसाय करने में सुगमता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से नागरिकों को एएंडएनसीजेडएमए के कार्यों एवं पहलों, एकीकृत तटीय क्षेत्र विनियमन (आईसीआरज़ेड), अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों, आदेशों तथा नवीनतम जानकारियों तक पहुंचने के लिए एक डिजिटल मंच उपलब्ध होगा। साथ ही, यह तटीय पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा देगी।

इस वेबसाइट के माध्यम से आम नागरिक, परियोजना प्रस्तावक, संस्थान, सरकारी विभाग तथा अन्य हितधारक तटीय विनियमों एवं संरक्षण संबंधी पहलों की जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे द्वीपों के संवेदनशील तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाएं तथा जागरूक रहकर ज़िम्मेदार तटीय विकास को प्रोत्साहित करें। पर्यावरण एवं वन विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह पहल जनसेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा द्वीपों के पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के सतत संरक्षण के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पॉक्सो मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित, अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा

मायाबंदर, 13 नवम्बर।

बाल अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, माननीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो), मायाबंदर, उत्तर व मध्य अण्डमान ने 10 नवम्बर, 2026 को सुजीत मंडल को दोषी ठहराया। यह मामला पुलिस थाना कालीघाट में प्राथमिकी संख्या 58/24, दिनांक 26.10.2024 के तहत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत दर्ज़ किया गया था। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस मामले में एक नाबालिग बालिका के साथ बार–बार यौन शोषण किए जाने का आरोप था। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई। यह दोषसिद्धि पुलिस थाना कालीघाट के पुलिस कर्मियों की सतर्क एवं गहन जांच, पेशेवर समर्पण और निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जिनके अथक प्रयासों से अपराधी को न्याय के कटघरे तक पहुंचाया जा सका।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 में श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद को प्रतिष्ठित पुरस्कार

श्री विजयपुरम, 13 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद (एसवीपीएमसी) को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 के अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेशों की ''प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर'' श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 11 नवंबर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव श्री ज्ञानेश भारती, भा.प्र.से., को प्रदान किया गया। इस अवसर पर शहरी विकास सचिव सुश्री पूर्वा गर्ग, भा.प्र.से., राज्य मिशन निदेशक (स्वच्छ भारत मिशन–शहरी) एवं एसवीपीएमसी के सचिव श्री कमलेश्वर राव एस., भा.प्र.से. तथा स्वच्छता अधिकारी श्री विजय प्रसाद तिवारी उपस्थित थे। एसवीपीएमसी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह सम्मान श्री विजयपुरम और संपूर्ण अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गौरव एवं पहचान का एक महत्वपूर्ण क्षण है।



आभूषण व्यापारियों के लिए 1 मिलीग्राम क्षमता वाले इलेक्ट्रॉनिक तराजू का उपयोग अनिवार्य

श्री विजयपुरम, 13 नवंबर।

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के व्यापारिक लेन–देन में अत्यधिक सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय (विधिक माप विज्ञान शाखा) ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 में एक महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किया है।

संशोधित नियमों के अनुसार, अब केंद्रशासित प्रदेश के सभी आभूषण विक्रेताओं, स्वर्ण एवं चांदी के व्यापारियों, सुनारों, गिरवी रखने वाले कारोबारियों तथा सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी बहुमूल्य धातुओं और बहुमूल्य रत्नों का व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों के लिए 1 मिलीग्राम (0.001 ग्राम) के सत्यापन माप अंतराल (ई)/माप विभाजन क्षमता वाले तौल उपकरणों का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी संबंधित व्यापारियों एवं बहुमूल्य धातुओं तथा रत्नों के कारोबारियों को अनिवार्य रूप से 1 मिलीग्राम माप विभाजन क्षमता वाले श्रेणी–1 अथवा श्रेणी–2 के इलेक्ट्रॉनिक/परिशुद्धता तराजुओं को अपनाना होगा तथा केवल उन्हीं का उपयोग करना होगा। व्यावसायिक उपयोग में लाए जाने वाले प्रत्येक 1 मिलीग्राम परिशुद्धता वाले तराजू का विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार उपयोग से पूर्व विधिक माप विज्ञान अनुभाग द्वारा सत्यापन, अंशांकन एवं मुहरांकन कराया जाना अनिवार्य होगा। विधिक माप विज्ञान शाखा की प्रवर्तन टीमें नियमित निरीक्षण करेंगी। नियमों का पालन नहीं करने, बिना सत्यापन वाले तराजुओं अथवा अधिक माप विभाजन क्षमता (जैसे 10 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम) वाले तराजुओं का उपयोग करने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे गैर–मानक उपकरणों को ज़ब्त करने के साथ–साथ विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत जुर्माना एवं अभियोजन की कार्रवाई भी की जाएगी।

उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे आभूषण खरीदने से पहले दुकानों में प्रमुखता से प्रदर्शित

शेष पृष्ठ 4 पर

कार निकोबार में 12 किसानों को वितरित किए गए 400 वनराजा पक्षी

कार निकोबार, 13 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने आज कार निकोबार के स्मॉल लपाती, बिग लपाती और तामालू गांवों के 12 किसानों को कुल 400 वनराजा पक्षियों का वितरण किया। इन पक्षियों में 4 सप्ताह के चूजे तथा 10 सप्ताह के बड़े हो चुके पक्षी शामिल थे। इन पक्षियों को प्रारंभ में केंद्रीय हैचरी से प्राप्त किया गया था तथा एरोंग स्थित संयुक्त पशुधन फार्म (सीएलएफ) में उनका पालन–पोषण किया गया। लाभार्थी किसानों को सौंपने से पहले फार्म में उनके उचित पालन–पोषण, प्रबंधन एवं टीकाकरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई। निकोबार ज़िले के दूरदराज़ के क्षेत्रों में घरेलू कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के विभाग के निरंतर प्रयासों के तहत इन पक्षियों का वितरण सीएलएफ एरोंग से किया गया। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय किसानों को घरेलू स्तर पर कुक्कुट उत्पादन बढ़ाने, अंडे एवं मांस की उपलब्धता में वृद्धि करने तथा दोहरे उद्देश्य वाले पक्षियों के वैज्ञानिक तरीके से पालन के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सहायता प्रदान करना है। वनराजा पक्षी घरेलू परिवेश में पालन के लिए उपयुक्त हैं तथा इनसे लाभार्थी परिवारों को पोषण संबंधी सहायता के साथ–साथ आजीविका के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। विभाग किसानों को पक्षियों के उचित प्रबंधन एवं पालन–पोषण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, पशु चिकित्सा सहायता, टीकाकरण तथा स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराता रहेगा। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह वितरण कार निकोबार में कुक्कुट पालन को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने के विभाग के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।



हल्के मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न



श्री विजयपुरम, 13 नवंबर।

भारतीय स्टेट बैंक–ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (एसबीआई–आरएसईटीआई), श्री विजयपुरम द्वारा आयोजित हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) चालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संस्थान परिसर में आयोजित समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में द्वीपसमूह के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 29 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 22 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण के दौरान सफलतापूर्वक अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही। इसमें कुल 21 महिला अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जो महिलाओं में वाहन चालन कौशल सीखने तथा स्वरोज़गार के अवसर अपनाने के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

इस अवसर पर परिवहन निदेशालय के उप निदेशक श्री बी. बिनॉय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री संतोष साहू सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए श्री बी. बिनॉय ने सड़क पर ज़िम्मेदार नागरिक एवं अनुशासित चालक बनने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने तथा

शेष पृष्ठ 4 पर

पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने एवं प्रताड़ित करने के मामले में आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

श्री विजयपुरम, 13 नवंबर।

पुलिस थाना कैंपबेल बे में दिनांक 15 नवंबर, 2002 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 79/2002 के आधार पर पुलिस थाना कैंपबेल बे द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 2003 को मामला संख्या 03/2003, भारतीय दंड संहिता की धारा 498(ए)/306 के तहत जांच पूरी कर आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया था। यह मामला कैंपबेल बे में आरोपी प्रद्युत बनर्जी, पुत्र श्री प्रशांतो बनर्जी पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने तथा उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप से संबंधित था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री सुमित कुमार कर्माकर तथा अपर लोक अभियोजक श्री महेश्वर लाल ने पैरवी की। लंबी सुनवाई एवं विचारण के बाद आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248(2) के अंतर्गत दोषी करार दिया गया तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 498(ए) के अपराध के लिए दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह आदेश अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के विद्वान सत्र न्यायाधीश श्री शुभ्र बंद्योपाध्याय द्वारा पारित किया गया। यह जानकारी उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय के लोक अभियोजक की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है।

विम्बर्लीगंज ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की बैठक 17 नवंबर को

श्री विजयपुरम, 13 नवंबर।

दक्षिण अण्डमान की विम्बर्लीगंज ग्राम पंचायत के अंतर्गत 17 नवंबर को प्रातः 10.30 बजे पंचायत भवन, विम्बर्लीगंज में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। इस संबंध में ग्राम सभा के सभी सदस्यों से बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त विज्ञप्ति में सभी विभागों से भी ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया गया है।

निकोबार के तटीय गांवों में सुनामी जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए

श्री विजयपुरम, 13 नवंबर।

आपदा प्रबंधन निदेशालय ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के 30 चयनित तटीय गांवों में सुनामी रेडी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तहत जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित करने के लिए एक कैलेंडर तैयार किया है। इस पहल के अंतर्गत आज कार निकोबार के तमालू गांव स्थित सामुदायिक भवन में सुनामी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन निकोबार ज़िला उपायुक्त कार्यालय के अधीन ज़िला आपातकालीन संचालन केंद्र (डीईओसी) द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय में सुनामी के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा आपदा से निपटने की तैयारियों को सुदृढ़ करना था।

इसी क्रम में, कल कार निकोबार के किनमई सामुदायिक भवन में भी इसी प्रकार का सुनामी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किनमई गांव एवं स्मॉल लपाती गांव के लोगों को शामिल किया गया। कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों को सुनामी के खतरों, इसके कारणों एवं संभावित प्रभावों, प्राकृतिक चेतावनी संकेतों, पूर्व चेतावनी प्रणालियों तथा सुनामी संबंधी अलर्ट एवं आपातकालीन संचार व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई।

संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को अपनी शंकाओं का समाधान करने का अवसर मिला तथा सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। आपदा प्रबंधन निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इनकॉयस) तथा दक्षिण अण्डमान, उत्तर व मध्य अण्डमान और निकोबार ज़िला प्रशासन के समन्वय से ये गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आपदा प्रबंधन निदेशालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य तटीय समुदायों को सुनामी जैसी आपदाओं के प्रति जागरूक एवं तैयार करना है।

जेएनआरएम बालक छात्रावास में योग एवं स्वास्थ्य संवर्धन सत्र संचालित

श्री विजयपुरम, 13 नवंबर।

यहां के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम) के साउथ प्वाइंट स्थित बालक छात्रावास के परिसर में 11 नवंबर, 2026 को योग एवं स्वास्थ्य संवर्धन सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र का उद्देश्य छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना था। इस सत्र का संचालन गाराचरामा स्थित वसुमति योग क्लिनिक के डॉ. एन. सेरा अरासन ने किया। सत्र का संयोजन एवं संचालन जेएनआरएम के सहायक छात्रावास अधीक्षक डॉ. दीपांकर डे ने किया। इस आयोजन का मार्गदर्शन जेएनआरएम की प्राचार्या डॉ. पर्ल देवदास तथा मुख्य छात्रावास अधीक्षक डॉ. रस बिहारी बनर्जी ने किया।

इस सत्र में छात्रावास के लगभग 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सत्र के दौरान विभिन्न योगासनों का व्यावहारिक प्रदर्शन एवं अभ्यास कराया गया। इसके साथ ही विद्यार्थियों को स्वस्थ खान–पान की आदतों तथा संतुलित आहार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। शिक्षा मंत्रालय के विद्यान्जलि पोर्टल के माध्यम से संचालित 'वेलनेस हेल्थ एंड एजुकेशन' कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस सत्र में तनाव प्रबंधन, स्मरण शक्ति में वृद्धि, सीखने की क्षमता के विकास तथा औषधि रहित, प्राकृतिक एवं पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों के माध्यम से रोगों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया गया।

संवादात्मक सत्र के दौरान डॉ. सेरा अरासन ने विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए विभिन्न तकनीकों से परिचित कराया। इनमें जीवनशैली में सुधार, योगाभ्यास, मस्तिष्क शक्ति योग, प्राणायाम, ध्यान, ताली चिकित्सा, थपथपाहट चिकित्सा, हास्य



चिकित्सा, मुद्रा चिकित्सा, प्राकृतिक आहार चिकित्सा, जल चिकित्सा, पैरों के प्रतिबिंब बिंदुओं की चिकित्सा तथा एक्यूप्रेशर शामिल थे। विद्यार्थियों को शारीरिक स्वस्थता, मानसिक एकाग्रता एवं समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिए इन अभ्यासों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह सत्र जानकारीपूर्ण एवं रोचक रहा, जिसमें विद्यार्थियों को समग्र स्वास्थ्य, तनाव में कमी तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्राप्त हुई। सत्र का समापन छात्रावास के विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के सकारात्मक संदेश के साथ हुआ।

मवेशी चोरी एवं अवैध परिवहन के मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराने में सफलता प्राप्त

मायाबंदर, 12 नवम्बर।

उत्तर अण्डमान की कालीघाट पुलिस ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए मवेशी चोरी एवं अवैध परिवहन के मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराने में सफलता प्राप्त की है। इस संबंध में पुलिस थाना कालीघाट में 20 मई, 2023 को प्राथमिकी संख्या 08/23 दर्ज़ की गई थी। मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित ध ाराओं तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत दर्ज़ किया गया था।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), मायाबंदर ने 5 नवम्बर, 2026 को सुनाए गए अपने फैसले में सभी सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को छह माह के साधारण कारावास तथा 3,100 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।

उत्तर व मध्य अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह सज़ा कालीघाट पुलिस के समर्पित प्रयासों, प्रभावी जांच और न्याय सुनिश्चित करने तथा जवाबदेही तय करने के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता का परिणाम है। इससे उत्तर व मध्य अण्डमान पुलिस का अपराध पर अंकुश लगाने, पशु कल्याण की रक्षा करने और कानून के शासन को बनाए रखने का संकल्प और मजबूत हुआ है।

हल्के मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण कार्यक्रम ——————————पृष्ठ 1 का शेष

सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, उन्होंने प्रशिक्षुओं को उनके भविष्य के प्रयासों में परिवहन विभाग की ओर से हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

श्री संतोष साहू ने अपने संबोधन में प्रशिक्षुओं के समर्पण एवं प्रयासों की सराहना की तथा सफलतापूर्वक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वाहन चालन का कौशल प्राप्त करने से स्वरोज़गार के नए अवसर खुलेंगे तथा प्रशिक्षु अपने परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दे सकेंगे। इस अवसर पर यूटीएलबीसी के मुख्य प्रबंधक श्री पी. के. उमर फारूक़ तथा एसबीआई–आरएसईटीआई, श्री विजयपुरम के निदेशक श्री सी. राज भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों द्वारा सफल अभ्यर्थियों को ड्राइविंग लाइसेंस एवं प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र वितरित किए गए।

आभूषण व्यापारियों के लिए 1 मिलीग्राम ——————————पृष्ठ 1 का शेष

वैध विधिक माप विज्ञान सत्यापन मुहर/प्रमाणपत्र की जांच करें तथा तराजू पर 1 मिलीग्राम की डिजिटल रीडिंग सुनिश्चित करने के बाद ही खरीदारी करें। नियमों के उल्लंघन की सूचना देने अथवा शिकायत दर्ज़ कराने के लिए उपभोक्ता नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से लिखित रूप में संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर "18003453197" अथवा दूरभाष नंबर "03192–230337" पर भी शिकायत दर्ज़ कराई जा सकती है।

उपभोक्ता मामले एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस संशोधन का उद्देश्य बहुमूल्य धातुओं एवं रत्नों के व्यापार में माप की सटीकता सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना है।

विद्युत विभाग में 90 आईटीआई प्रशिक्षुओं को दिया जाएगा एक वर्ष का प्रशिक्षण

श्री विजयपुरम, 13 नवंबर।

सभी संबंधितों को सूचित किया गया है कि अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन का विद्युत विभाग प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (1973, 1986 एवं 2014 में संशोधित) के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवसायों में संबंधित ट्रेड में आईटीआई योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

क्र. सं.	व्यवसाय	शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षुओं की संख्या	प्रशिक्षण अवधि
1.	फिटर	आईटीआई फिटर (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल)	10	1 वर्ष
2.	इलेक्ट्रीशियन	आईटीआई इलेक्ट्रीशियन	15	1 वर्ष
3.	मैकेनिक (एम.वी.)	आईटीआई मैकेनिक (एम.वी.)	15	1 वर्ष
4.	लाइनमैन	आईटीआई वायरमैन/इलेक्ट्रीशियन	15	1 वर्ष
5.	वायरमैन	आईटीआई वायरमैन/इलेक्ट्रीशियन	10	1 वर्ष
6.	केबल जॉइंटर	आईटीआई वायरमैन/इलेक्ट्रीशियन	10	1 वर्ष
7.	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली अनुरक्षण	आईटीआई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली अनुरक्षण	15	1 वर्ष
		कुल	90	

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार क. पात्रता संबंधी शर्तें:

1. उपर्युक्त व्यवसायों में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई प्रमाण–पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी आईटीआई प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे।
2. जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है अथवा जिन्हें एक वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव है, वे निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र नहीं होंगे।
3. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने इस अधिनियम/भारत सरकार की योजना के अंतर्गत पहले ही प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके मामले में किसी भी कारणवश प्रशिक्षुता अनुबंध समाप्त कर दिया गया था, पात्र नहीं होंगे।
4. अभ्यर्थी निर्धारित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर इस योजना के अंतर्गत अपना नामांकन/पंजीकरण करा सकते हैं।

ख. प्रशिक्षण की अवधि:

1 प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति केवल ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से होगी तथा प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी। प्रशिक्षु के रूप में यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी और इससे नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रशिक्षुओं को स्थायी अथवा अस्थायी रोज़गार प्रदान करने के संबंध में विद्युत विभाग की कोई प्रतिबद्धता नहीं होगी।

2. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को विद्युत विभाग के विभिन्न द्वीपों में स्थित किसी भी विद्युत गृह/पारेषण एवं वितरण उपमंडल/कार्यशाला/कार्यालय में तैनात किया जाएगा तथा वे विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।

ग. प्रतिमाह देय वृत्तिका की दर:

3 सितंबर, 2025 को जारी तथा 11 सितंबर, 2025 को प्रकाशित जी.एस.आर. 686 (ई) और 15 सितंबर, 2025 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रशिक्षुओं को प्रतिमाह देय न्यूनतम वृत्तिका की दर निम्नलिखित है:

3	आईटीआई प्रशिक्षु	प्रति माह 9600 रूपए

घ. आवेदन कैसे करें:

आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

क) पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करने वाले आईटीआई अभ्यर्थी **www.apprenticeshipindia.org** वेबसाइट पर जाकर अपना नामांकन कराएं।

ख) ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समस्त संबंधित जानकारी भरें तथा सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। अधूरे विवरण वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं।

ग) प्रशिक्षुता पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद अभ्यर्थियों को विद्युत विभाग द्वारा अधिसूचित प्रशिक्षुता अवसरों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये अवसर इस प्रेस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से एक माह तक उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे।

ङ. चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इस दौरान उन्हें सभी मूल दस्तावेज़ों के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी: शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, आयु प्रमाण–पत्र, रोज़गार पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक तथा दो पासपोर्ट आकार के फोटो।

च. विद्युत विभाग को बिना किसी पूर्व सूचना दिए तथा कोई कारण बताए बिना अपने विवेकानुसार अभ्यर्थियों की अंतिम नियुक्ति करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

छ. प्रशासन द्वारा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अभ्यर्थी किसी भी आधार पर विद्युत विभाग में रोज़गार का दावा कर सकेंगे।

ज. चयनित अभ्यर्थियों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के तीनों ज़िलों में कहीं भी प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

मध्योत्तर अण्डमान पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान किया तेज

मायाबंदर, 13 नवम्बर।

उत्तर व मध्य अण्डमान पुलिस ने अवैध शराब के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति को दोहराते हुए 13 नवंबर, 2026 को विश्वसनीय सूचना के आधार पर नींबूडेरा के प्रफुल्ल नगर स्थित वन क्षेत्र में बादामनाला पुलिस चौकी की टीम के माध्यम से तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान लगभग 100 लीटर अवैध लेहान तथा 5 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। मौके पर किसी भी व्यक्ति के दावेदार के रूप में उपस्थित नहीं होने के कारण बरामद अवैध पदार्थों तथा उनके निर्माण एवं भंडारण में प्रयुक्त सामग्रियों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर व मध्य अण्डमान पुलिस अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस ने आम जनता से प्रभावी कार्रवाई में सहयोग देने के लिए अवैध शराब से संबंधित विश्वसनीय जानकारी साझा करने की अपील की है।

आज बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

श्री विजयपुरम, 13 नवंबर।

विद्युत विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि प्रोथरापुर एवं गाराचरामा फीडर के 11 केवी एबीएस के रखरखाव कार्य के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री विजयपुरम के विभिन्न क्षेत्रों में कल 14 नवम्बर को सुबह 7.30 बजे से सुबह 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में लक्ष्मी मोटर, शिवाजी कॉलोनी, टीआर हाउसिंग, एमआर हाउसिंग, महिंद्रा शोरूम क्षेत्र, एजेंसी हाउस, गाराचरामा बस्ती, गाराचरामा अस्पताल, काली मंदिर, टीटीआई रोड, पंप हाउस, मुर्दा खाड़ी तथा गाराचरामा फीडर का संपूर्ण क्षेत्र, प्रोथरापुर, अस्टीनाबाद, मरियम्मा मंदिर क्षेत्र, पथरगड्डा का कुछ हिस्सा, उम्मत पब्लिक स्कूल के निकटवर्ती क्षेत्र, ब्रिचगंज, ब्रुक्शाबाद, अन्ना नगर, बर्मानाला, रंगाचांग, कोड़ियाघाट, पीटीएस, चिड़ियाटापू तथा बिड़नाबाद का कुछ हिस्सा आदि शामिल होंगे। उक्त समय संभावित है तथा मौसम की स्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है। यदि निर्धारित समय से पहले कार्य पूरा हो जाता है, तो संबंधित फीडर/लाइन को समय से पहले भी चालू कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए विद्युत विभाग की वेबसाइट **https://vidyut.andaman.gov.in** पर जाएं। बिजली आपूर्ति से संबंधित शिकायत दर्ज़ कराने के लिए उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800–345–1111 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही विद्युत उपभोक्ताओं, आम जनता एवं सरकारी विभागों को सूचित किया गया है कि लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रभाग) द्वारा लंबा लाइन स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, श्री विजयपुरम के निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के क्वार्टर के प्रवेश द्वार के सामने तथा रक्षा विहार बैंक स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने 500 मिमी व्यास वाली कास्ट आयरन (सीआई) पंपिंग लाइन में हुए दो स्थानों पर रिसाव की तत्काल मरम्मत का कार्य किया जाना है। इस कार्य को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए एहतियातन स्कूल लाइन एवं एयरपोर्ट फीडर (11 केवी एवं 33 केवी भूमिगत विद्युत केबल) बंद रखे जाएंगे, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में कल 14 नवम्बर को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में एयरपोर्ट क्षेत्र, डेयरी फार्म जंक्शन, सीपीडब्ल्यूडी परिसर, लंबा लाइन क्षेत्र, रांची टेकरी तथा स्कूल लाइन गांव का कुछ हिस्सा आदि शामिल होंगे।

अंतरविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में एसएसएस केवी–2 एवं बालिका विद्यालय विजेता

श्री विजयपुरम, 13 नवंबर।

दक्षिण अण्डमान के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय के खेल अनुभाग द्वारा आयोजित अंतरविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता (अंडर–17) बालक एवं बालिका वर्ग का समापन आज नेताजी स्टेडियम, श्री विजयपुरम के बहुउद्देशीय सभागार में हुआ। इस प्रतियोगिता में दक्षिण अण्डमान के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। बालक वर्ग के



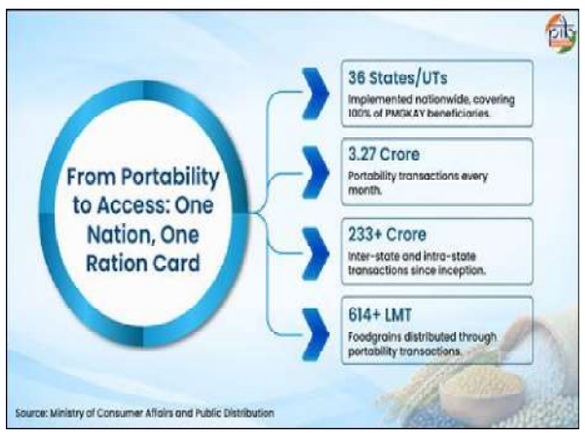
फाइनल मुकाबले में केन्द्रीय विद्यालय–2 ने जीएसएसएस मंगलूटन को पराजित किया, जबकि बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में बालिका विद्यालय ने जीएसएसएस स्कूल लाइन को हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार समापन समारोह में शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक (खेल) श्री इरशाद अहमद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि एसवाईए के सहायक निदेशक (खेल) श्री बिश्वनाथ सेन सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए। दोनों अतिथियों ने बालक एवं बालिका वर्ग की विजेता तथा उप विजेता टीमों को प्रमाण–पत्र, पदक एवं ट्रॉफियां प्रदान कर सम्मानित किया।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना से देशभर में कहीं भी राशन लेने की सुविधा

नई दिल्ली, 13 नवम्बर।

केंद्र सरकार की 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) योजना ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थी देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होती। योजना विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए उपयोगी साबित हो रही है।



खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने वर्ष 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य राशन कार्ड और खाद्यान्न वितरण की सुविधा को पूरे देश में पोर्टेबल बनाना है, ताकि लाभार्थी निवास स्थान बदलने के बाद भी सब्सिडी वाले खाद्यान्न का लाभ उठा सकें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न का कानूनी अधिकार मिलता है, जबकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से इसका वितरण किया जाता है।

योजना को देश के सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के 100 प्रतिशत लाभार्थियों को कवर किया गया है। वर्तमान में हर महीने लगभग 3.27 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन हो रहे हैं। योजना की शुरुआत से अब तक अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर 233 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं, जिनके माध्यम से 614 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न वितरित किया गया है।

सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता और बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रमाणीकरण, डेटा आधारित निगरानी और तकनीक आधारित वितरण व्यवस्था को भी मजबूत किया है। अक्टूबर 2026 तक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राशन कार्ड और लाभार्थियों के डेटाबेस का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इसमें लगभग 78.65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। इन आंकड़ों को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सार्वजनिक पारदर्शिता पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

केंद्रीय प्रणाली में दर्ज 20.51 करोड़ राशन कार्डों में से 20.27 करोड़ यानी 98.8 प्रतिशत को आधार से जोड़ा जा चुका है। वहीं, आधार से जुड़े लाभार्थियों की कुल संख्या 76.97 करोड़ है। 30 सितंबर 2026 तक 71.52 करोड़ लाभार्थियों की ई–केवाईसी पूरी हो चुकी थी, जो कुल लाभार्थियों का लगभग 91 प्रतिशत है। शिकायतों के समाधान के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पारदर्शिता पोर्टल, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली और टोल फ्री हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। खाद्यान्न का ऑनलाइन आवंटन पूरे देश में लागू है, जबकि 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आपूर्ति श्रृंखला का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। देशभर में संचालित कुल 5.51 लाख उचित मूल्य की दुकानों में से 5.50 लाख यानी 99.8 प्रतिशत दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई–पीओएस) उपकरण काम कर रहे हैं। इससे खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में मदद मिली है।

सरकार ने आधार और पीडीएस के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर संदिग्ध रिकॉर्ड की पहचान कर अपात्र और दोहराव वाली प्रविष्टियों को हटाने की कार्रवाई भी की है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 5.95 करोड़ संदिग्ध रिकॉर्ड चिह्नित किए गए, जिसके बाद सही लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 2.58 करोड़ डुप्लीकेट या अपात्र प्रविष्टियां हटाई गईं। इसके अलावा, राइटफुल टारगेटिंग के तीसरे संस्करण में 63 लाख रिकॉर्ड चिह्नित किए गए और 68 लाख प्रविष्टियां हटाई गईं।

पीडीएस की आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने सार्थक–पीडीएस (SARTHAK & PDS)के तहत निर्मल और सक्षम जैसी पहल शुरू की हैं। निर्मल के माध्यम से डेटा व्यवस्था और विश्लेषण को मजबूत किया जा रहा है, जबकि सक्षम के तहत खरीद से वितरण तक वास्तविक समय में आंकड़ों का एकीकरण और वाहन लोकेशन ट्रैकिंग प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्यों के भीतर खाद्यान्न परिवहन, उसकी हैंडलिंग और उचित मूल्य दुकान के डीलरों के मार्जिन के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इसका उद्देश्य आपूर्ति की अंतिम कड़ी तक खाद्यान्न पहुंचाना और वितरण में होने वाली अनियमितताओं को कम करना है। यह व्यवस्था 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी।

इसके अतिरिक्त, सार्थक–पीडीएस के तहत स्मार्ट–पीडीएस (SMART & PDS) के माध्यम से राशन कार्ड, खाद्यान्न वितरण, आपूर्ति श्रृंखला और शिकायत निवारण प्रणालियों को डिजिटल रूप से एकीकृत किया जा रहा है। इससे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में तकनीकी कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी।

योजना के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 'मेरा राशन' मोबाइल ऐप भी शुरू किया है। यह ऐप 13 भाषाओं में उपलब्ध है और लाभार्थियों को राशन से जुड़ी जरूरी जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से लाभार्थी अपने मासिक खाद्यान्न कोटे, पिछले लेनदेन और आधार सीडिंग की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, वे राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लिए अपनी पात्रता जांच सकते हैं और स्वेच्छा से योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

ऐप में जीपीएस की मदद से नजदीकी उचित मूल्य की दुकान का पता लगाने और वहां तक पहुंचने के लिए नक्शे के जरिए दिशा–निर्देश प्राप्त करने की सुविधा भी है। इससे विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों को नए स्थान पर राशन की दुकान खोजने और अपने खाद्यान्न का लाभ लेने में आसानी होती है। सरकार के अनुसार, वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना ने खाद्यान्न वितरण को देशव्यापी, तकनीक आधारित और लाभार्थी–केंद्रित बनाने में मदद की है। डिजिटल डेटाबेस, ई–पीओएस उपकरणों, सार्थक–पीडीएस और मेरा राशन ऐप के जरिए इस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि लाभार्थियों को वे जहां भी रहें और काम करें, खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। –(इनपुटः पीआईबी)

टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, इलाज की सफलता दर 94%

नई दिल्ली, 13 नवम्बर।

तपेदिक (टीबी) के खिलाफ देश की लड़ाई के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा (जे.पी. नड्डा) की ओर से सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की गई है।

जेपी नड्डा ने एक्स पोस्ट में लिखा, "टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई के अच्छे नतीजे दिख रहे हैं! डब्ल्यूएचओ ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2026 में भारत की बड़ी तरक्की को दिखाया गया है, जिसमें 2015 से टीबी से होने वाली मौतों में 38 प्रतिशत की कमी आई है, जो दुनिया भर में 35 प्रतिशत की गिरावट और 94 प्रतिशत इलाज की सफलता दर को पार कर गई है।"

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, टीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गई है, जो तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और मरीजों पर ध्यान देने वाली देखभाल से चल रही है।"

उन्होंने लिखा, "टीबी मुक्त भारत अभियान के जरिए, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों की तेज स्क्रीनिंग की गई है। 11 करोड़ से ज्यादा चेस्ट एक्स–रे और 3 करोड़ से ज्यादा मॉलिक्यूलर टेस्ट किए गए हैं। 48.64 लाख टीबी के मामलों का पता चला, जिनमें लगभग 15 लाख बिना लक्षण वाले मामले शामिल हैं, जिससे जल्दी इलाज हो सका। एआई–इनेबल्ड डायग्नोस्टिक्स से लेकर निक्षय पोषण योजना के तहत न्यूट्रिशनल सपोर्ट और निक्षय मित्रों की मेहनत से, हम टीबी केयर के हर पहलू को मजबूत कर रहे हैं।"

जेपी नड्डा ने आगे लिखा, "ये कामयाबियां हमारे इस इरादे को और पक्का करती हैं कि कोई भी टीबी मरीज पीछे न छूटे। जनभागीदारी और हमारी साझा प्रतिबद्धता के साथ, हम टीबी–मुक्त भारत की ओर बढ़ते रहेंगे।"

बता दें कि पिछले महीने देश में तपेदिक (टीबी) के



खिलाफ लड़ाई में सामुदायिक भागीदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से 'जोश' (जोश–जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ) टीमों का शुभारंभ किया गया था।

भारत में टीबी के खिलाफ लड़ाई को जनभागीदारी से और तेज करने की दिशा में 'जोश' अभियान की शुरुआत की गई है। इस पायलट प्रोग्राम के तहत 11 राज्यों के 55 जिलों में शुरू किए गए इस अभियान से करीब 58 हजार वॉलंटियर्स जुड़ेंगे। ये वॉलंटियर्स घर–घर जाकर टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ लोगों को जांच और इलाज के लिए प्रेरित करेंगे। अभियान में एनसीसी कैडेट्स और माय भारत के वॉलंटियर्स भी भागीदारी कर रहे हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि भारत में टीबी के मामलों में 21 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जबकि टीबी मरीजों के इलाज की कवरेज बढ़कर 92 प्रतिशत हो गई है। टीबी की पहचान के लिए अब हैंडहेल्ड एक्स–रे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनएटी जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। (इनपुट–आईएएनएस)

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 16 जनजातीय हॉटस्पॉट में औषधीय पौधों के संरक्षण और सतत आजीविका को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया

नई दिल्ली, 13 नवम्बर।

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सीएसआईआर–राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर–एनबीआरआई), लखनऊ के सहयोग से, 12 नवंबर 2026 को कोरापुट (ओडिशा) स्थित ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक परियोजना की औपचारिक शुरुआत की। इस परियोजना का शीर्षक है: "भारत के जनजातीय हॉटस्पॉट में सतत जनजातीय आजीविका के लिए एकीकृत संरक्षण, कृषि–प्रौद्योगिकी और जैव–संसाधन उद्यम विकास"।

उद्घाटन कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अपर सचिव, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अजीत कुमार शसानी, सीएसआईआर–राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर–एनबीआरआई), लखनऊ के मुख्य वैज्ञानिक और प्रधान अन्वेषक डॉ. शरद कुमार श्रीवास्तव, आईटीडीए परियोजना प्रशासन (कोरापुट) की सुश्री स्नेहप्रभा माझी, आईसीएमआर–राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर, के वैज्ञानिक, तथा अन्य वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि, संकाय सदस्य और जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए।

तीन साल की इस पहल का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में मौजूद औषधीय पौधों की समृद्ध जैव–विविधता का संरक्षण करना है। साथ ही, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय जैव–संसाधनों का उपयोग करके जनजातीय समुदायों के लिए सतत आजीविका और उद्यम के अवसर पैदा करना है। यह परियोजना 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 16 चयनित जनजातीय हॉटस्पॉट को कवर करती है: अल्लूरी सीताराम राजू (आंध्र प्रदेश), कोकराझार (असम), नारायणपुर (छत्तीसगढ़), नवसारी (गुजरात), पूर्वी सिंहभूम (झारखंड), कोडागु (कर्नाटक), वायनाड (केरल), कारगिल (लद्दाख), अनूपपुर (मध्य प्रदेश), गढ़चिरौली और नासिक (महाराष्ट्र), कंधमाल, बलांगीर और कोरापुट (ओडिशा), सोनभद्र (उत्तर प्रदेश), और धारचूला (उत्तराखंड)।

इस परियोजना के मुख्य कार्यों में लगभग 200–300 औषधीय पौधों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण, 30–40 दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त (आरईटी) प्रजातियों का वैज्ञानिक प्रसार, 16 सामुदायिक नर्सरियों और 16 बीज



बैंकों की स्थापना, तथा औषधीय पौधों की खेती और जैव–संसाधन आधारित उद्यमों के लिए सामुदायिक स्तर पर क्षमता विकास शामिल हैं। इस परियोजना के तहत संरक्षण, प्रसार और सतत खेती को बढ़ावा देने के लिए 40,000–50,000 उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का वितरण भी किया जाएगा।

शुरुआती कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, सीएसआईआर–एनबीआरआई ने अक्टूबर 2026 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में क्षेत्र आधारित कार्य किया। क्षेत्रीय टीम ने 12 गांवों के 146 ऐसे आदिवासियों से बातचीत की, जिनके पास पारंपरिक ज्ञान है और उनकी पारंपरिक औषधीय पद्धतियों का दस्तावेजीकरण किया। इस दौरान कुल 97 क्षेत्र नंबरों के तहत लगभग 200 औषधीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के नमूने एकत्र किए गए। इसके अलावा, सीएसआईआर–एनबीआरआई बॉटनिकल गार्डन में जर्मप्लाज्म संरक्षण और पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए ऑर्किड के 25 जीवित नमूने भी एकत्र किए गए।

इस पहल का उद्देश्य वैज्ञानिक संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके), राज्य के जनजातीय कल्याण और वन विभागों तथा स्थानीय समुदायों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना है। इसमें जनजातीय किसानों, पारंपरिक चिकित्सकों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को संरक्षण, क्षमता निर्माण, खेती और मूल्य–श्रृंखला विकास में शामिल करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों में कटौती लागू कराने के लिए केंद्र ने निगरानी बढ़ाई

नई दिल्ली, 13 नवम्बर

केंद्र सरकार ने कैंसर की 137 गैर–अनुसूचित दवाओं की संशोधित कम कीमतों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए निगरानी सख्त करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने इन दवाओं पर लागू व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (टीएमआर) व्यवस्था के अनुपालन की कड़ी निगरानी करने को कहा है। इन दवाओं की कम कीमतें 9 नवंबर से प्रभावी हो चुकी हैं।

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के तहत आने वाले एनपीपीए ने कहा कि 11 नवंबर 2026 तक कंपनियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संशोधित मूल्य सूचियां उसकी वेबसाइट और 'फार्मा सही दाम' ऐप एवं पोर्टल पर उपलब्ध हैं। सभी दवा निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को संशोधित कीमतों का पालन करने तथा अपनी दुकानों और वेबसाइटों पर नई मूल्य सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।

एनपीपीए ने राज्य औषधि नियंत्रकों को निर्माताओं, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों की ओर से नियमों के पालन की कड़ी निगरानी करने को कहा है, ताकि कम कीमतों का लाभ मरीजों तक पहुंच सके। बयान के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने पर औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 के प्रावधानों के तहत अधिक कीमत वसूलने के मामले में कार्रवाई की जा सकती है।

दवाओं की अधिक कीमत वसूले जाने, कमी या उपलब्ध नहीं होने से जुड़ी शिकायतें 'फार्मा सही दाम' ऐप और पोर्टल, एनपीपीए हेल्पलाइन या ईमेल के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती हैं। राज्य औषधि नियंत्रकों को 16 नवंबर 2026 तक अपनी कार्रवाई रिपोर्ट एनपीपीए को सौंपने के लिए कहा गया है।

केंद्र सरकार ने इन 137 गैर–अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत तय की है। इसका उद्देश्य दवाओं की बिक्री से जुड़ी



आपूर्ति श्रृंखला में मुनाफे को सीमित कर मरीजों के लिए उनकी कीमतें कम करना है। एनपीपीए ने 17 अक्टूबर को जारी आदेश के माध्यम से इन दवाओं को व्यापार मार्जिन युक्तिकरण व्यवस्था के दायरे में लाया था।

9 नवंबर तक 85 दवा कंपनियों ने 137 में से 121 दवाओं के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की जानकारी दी थी। इसमें कुल 1,366 दवा इकाइयां शामिल हैं। अब तक दर्ज सबसे बड़ी मूल्य कटौती 96.45 प्रतिशत रही, जबकि 650 से अधिक दवा फॉर्मूलेशन के एमआरपी में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कमी दर्ज की गई। सबसे अधिक कटौती 50 से 75 प्रतिशत के दायरे में रही।

आधिकारिक बयान के अनुसार, इन दवाओं की कीमतों में कमी से मरीजों को अनुमानित 3,541 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसकी गणना अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच दर्ज बिक्री की मात्रा पर पुरानी और संशोधित कीमतों के अंतर को लागू करके की गई है।

30 प्रतिशत की व्यापार मार्जिन सीमा खुदरा और अस्पताल फार्मेसी सहित पूरी दवा आपूर्ति श्रृंखला पर लागू होगी। यह सूचीबद्ध दवाओं के सभी डोज और रूपों, जैसे टैबलेट और इंजेक्शन, पर लागू है। इसके अलावा, दवाएं अकेले बेची जाएं या दूसरी दवाओं के संयोजन में, यह सीमा दोनों स्थितियों में प्रभावी रहेगी।

माइक्रोसॉट की सेवाएं हुईं ठप, आउटलुक और टीम्स इस्तेमाल नहीं कर पाए यूजर्स

भारत समेत दुनियाभर में माइक्रोसॉट की सेवाएं ठप पड़ गई, जिसके कारण यूजर्स आउटलुक और टीम्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए। यूजर्स को इन प्लेटफॉर्म्स में भारी आउटेज का सामना करना पड़ा है।

आउटेज–ट्रैकिंग वेबसाइट 'डाउनडिटेक्टर डॉट कॉम' पर आउटलुक से जुड़ी समस्याओं की 1 लाख से अधिक रिपोर्ट दर्ज की गईं। इस रुकावट का असर ओपनएआई और एंथ्रोपिक की एआई सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले कनेक्टर्स पर भी पड़ा। माइक्रोसॉट ने एक बयान में कहा, "हम इस समस्या के असर को कम करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।" कंपनी ने यह भी बताया कि वह अपने एडमिन सेंटर के जरिए लगातार अपडेट दे रही है। अपने ताजा अपडेट में माइक्रोसॉट ने बताया कि यह समस्या 'बड़ी संख्या में सर्वरों के अचानक ठप हो जाने' की वजह से आई है। हालांकि कंपनी ने इसके सटीक कारण नहीं बताए। माइक्रोसॉट ने कहा कि वह अभी भी इस आउटेज की जांच कर रही है। माइक्रोसॉट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी कि उसके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 'बहुत अधिक लोड' आ गया है और वे इस लोड को संतुलित करने के लिए कनेक्शन



ट्रैफिक को अपने वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर से बांट रहे हैं। टेक कंपनी ने बताया कि उसकी टीम ने सभी नए डिप्लॉयमेंट रोक दिए हैं, प्रभावित इंफ्रास्ट्रक्चर से ट्रैफिक को दूसरी जगह भेजा जा रहा है और प्रभावित सर्वरों को फिर से शुरू किया जा रहा है, ताकि सेवाएं बहाल हो सकें। कंपनी का कहना है कि इस आउटेज से उसका 'डिफेंडर एक्सडीआर' सुरक्षा सिस्टम भी प्रभावित हुआ है। इससे पहले, माइक्रोसॉट ने बताया था कि उसने उत्तरी अमेरिका में 'टीम्स' सेवा में आई रुकावट को ठीक कर लिया है और समस्या पूरी तरह सुलझ गई है। बाद में कंपनी ने कहा कि यह समस्या अन्य क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं के लिए 'माइक्रोसॉट 365' सेवा की कनेक्टिविटी को भी प्रभावित कर सकती है।

IndianOil

इंडियनऑयल IndianOil

एलपीजी वितरकों की नियुक्ति के लिए सूचना

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नीचे दिये गये स्थानों पर विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत विशेष श्रेणी से जुड़े उम्मीदवारों को एलपीजी वितरक नियुक्त करने का प्रस्ताव किया जाता है:

क्र. सं.	ऑयल कंपनी	स्थान	ग्राम पंचायत	सब डिविजन (केवल डीकेवी के लिए)	ब्लॉक	जिला	श्रेणी	एलपीजी वितरक का प्रकार	सुरक्षा जमा राशि (रु. लाख में)	विपणन योजना
1	आईओसीएल	जीपीए मधुपुर, जीपीए लक्ष्मीपुर और जीपीए राधानगर का क्लस्टर	मधुपुर, लक्ष्मीपुर और सीतापुर	दिगलिपुर	दिगलिपुर	उत्तरी और मध्य अंडमान	ओपन (महिला)	दुर्गम क्षेत्रीय वितरक (डीकेवी)	4	2026-27
2	आईओसीएल	जीपीए कोल्लिनपुर, जीपीए नामुनाघर, जीपीए तुशनाबाद और जीपीए मिथाखारी का क्लस्टर	कोल्लिनपुर, नामुनाघर, तुशनाबाद और मीथाखारी	फरारगंज	फरारगंज	दक्षिणी अंडमान	ओ.बी.सी (महिला)	दुर्गम क्षेत्रीय वितरक (डीकेवी)	3	2026-27
3	आईओसीएल	जीपीए कदमताला और जीपीए उत्तरा का क्लस्टर	कदमताला, उत्तरा	रंगत	रंगत	उत्तरी और मध्य अंडमान	एस.टी	दुर्गम क्षेत्रीय वितरक (डीकेवी)	2	2026-27
4	आईओसीएल	छोउलदरि जीपीए और गुम्रापाड़ा जीपीए का क्लस्टर	छोउलदरि और गुम्रापाड़ा	फरारगंज	फरारगंज	दक्षिणी अंडमान	ओपन	दुर्गम क्षेत्रीय वितरक (डीकेवी)	4	2026-27
5	आईओसीएल	पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद् के अंतर्गत वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 8 का क्षेत्र	एनए (पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद्)	-	पोर्ट ब्लेयर	दक्षिणी अंडमान	ओ.बी.सी	रुर्बन	4	2026-27

1. पात्रता मानदंड, नामावली आदि सहित विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट **www.lpgvitarakchayan.in** पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले, उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे 'आवेदकों के लिए यूजर मैन्यूल - एलपीजी वितरक' को ध्यान से पढ़ें, जो **www.lpgvitarakchayan.in** पोर्टल पर उपलब्ध है।
2. एलपीजी वितरक के चयन के लिए योग्यता मानदंड, एलपीजी गोदाम, शोरूम, सिलेंडर की होम डिलीवरी आदि के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और चयन प्रक्रिया की जानकारी 'एलपीजी वितरकों के चयन के लिए ब्रोशर' में दी गई है, जिसे किसी भी ऑयल कंपनी की वेबसाइट **www.iocl.com** या **www.lpgvitarakchayan.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. एलपीजी वितरक के लिए आवेदन सहित वापसी रहित आवेदन शुल्क, जैसा लागू होगा, का भुगतान 14.12.2026 को 17:00 बजे ऑनलाइन करना होगा।
4. ऊपर बताई गई कट-ऑफ तिथि और समय के तुरंत बाद ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।
5. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन जमा करने से पहले 'ब्रोशर' को ध्यान से पढ़ें और चयन की शर्तों को समझ लें।
6. कॉर्पोरेशन (आईओसीएल) के पास बिना कोई कारण बताए इस विज्ञापन को निरस्त करने/वापस लेने/इसमें बदलाव करने या अंतिम तिथि बढ़ाने का पूरा अधिकार है।
7. अगर अंग्रेजी में प्रकाशित विज्ञापन और स्थानीय भाषा में प्रकाशित विज्ञापन में कोई अंतर पाया जाता है, तो स्थानीय भाषा वाले प्रारूप में दी गई जानकारी/निर्देश ही मान्य होंगे।
8. शुद्धिपत्र, अगर कोई होगा, तो उसे केवल वेबसाइट **www.lpgvitarakchayan.in** पर ही प्रकाशित किया जाएगा।
9. आवेदक एफएक्यू भी देख सकते हैं और वेबसाइट **www.lpgvitarakchayan.in** पर दी गई जानकारी के अनुसार इंडेन डिविजनल कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता से संपर्क कर सकते हैं।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन,
समाज कल्याण निदेशालय, गोलघर, श्री विजय पुरम

रिक्ति सूचना

No. 3-40/DSW/CHL/1098/HR/2023-24/PART-I/3524 दिनांक : 13.11.2026

मिशन वात्सल्य, चाइल्ड हेल्पलाइन–1098 (24x7) डब्ल्यूसीडी कंट्रोल रूम, वीआईपी रोड के अंतर्गत समाज कल्याण निदेशालय, श्री विजय पुरम में संविदा आधार पर विभिन्न पदों को भरने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं	पद का नाम	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	समेकित मासिक वेतन (रुपए में)
1.	**हेल्पलाइन प्रशासक (Helpline Administrator)**	01	विधि / सामाजिक कार्य / समाजशास्त्र / सामाजिक विज्ञान / मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (मास्टर डिग्री) रखने वाला कोई भी व्यक्ति।	किसी सरकारी अथवा गैर–सरकारी परियोजना / कार्यक्रम के प्रशासनिक सेटअप में बाल–संबंधित प्रासंगिक क्षेत्रों में कार्य करने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। साथ ही, उसी सेटअप के भीतर अथवा बाहर परामर्श (काउंसलिंग) का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	रु. 50,000 / –
2.	**कॉल ऑपरेटर (Call Operator)**	01	विधि / सामाजिक कार्य / समाजशास्त्र / सामाजिक विज्ञान / मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (मास्टर डिग्री) रखने वाला कोई भी व्यक्ति।	बाल–संबंधित प्रासंगिक क्षेत्रों में कार्य करने का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव अथवा दूरसंचार (टेलीकॉम) या वेब–आधारित प्रासंगिक प्रणाली पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।	रु. 40,000 / –

आवश्यक योग्यताएँ पूरी करने वाले अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप (नीचे दिया गया है) में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि एवं कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण–पत्रों की स्व–सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो भी चिपकाना होगा।

आवेदन दिनांक 27 / 11 / 2026 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व समाज कल्याण निदेशालय, गोलघर, श्री विजय पुरम में पहुँच जाना चाहिए। आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन–1098 से संपर्क किया जा सकता है।

पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि एवं समय की सूचना उनके आवेदन में उल्लिखित फोन नंबर / ई–मेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी। चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए पात्र अभ्यर्थियों की सूची समाज कल्याण निदेशालय, गोलघर, श्री विजय पुरम के सूचना पट्ट (नोटिस बोर्ड) पर भी प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थियों को प्रमाण–पत्रों एवं सहायक दस्तावेजों के सत्यापन हेतु साक्षात्कार के समय अपने मूल प्रमाण–पत्रों एवं संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस संबंध में कोई अलग से सूचना नहीं दी जाएगी।

नियम एवं शर्तें :– 1. नियुक्ति प्रारंभ में ग्यारह माह की अवधि के लिए पूर्णतः संविदा आधार पर होगी, जिसे अभ्यर्थी के कार्य निष्पादन एवं मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
2. साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता (टी.ए.) एवं दैनिक भत्ता (डी.ए.) देय नहीं होगा।
3. चयनित अभ्यर्थी अपने निर्धारित कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
4. ये शर्तें मिशन वात्सल्य योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित की गई हैं।

निदेशक (समाज कल्याण)

ई–निविदा सूचना

No. DB-Tender/Elect/WSD/2026-27/3437 दिनांक 12.11.2026

अ॰लो॰नि॰वि॰ ओपन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इजीनियंरिग खरीद और निर्माण (इ॰पी॰सी॰) मोड के माध्यम से त्री बोली प्रणाली आमंत्रित।
कार्य का नाम : एसवीपीएमसी क्षेत्र मे विभिन्न स्थानो पर अलग अलग क्षमता के विकेंद्रीकृत STP
धरोहर राशि : रु. 51,10,564 / – एवं कार्य समाप्ति की अवधि : 11 माह।
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय : 23 / 11 / 2026 के पूर्वाहन 10.00 बजे।
निविदा प्रकाशन की तिथि : 12 / 11 / 2026 के अपराहन 3.00 बजे।
निविदा डाउनलोड / आंरभ तिथि : 12 / 11 / 2026 के अपराहन 3.00 बजे
निविदा पूर्व बैठक की तिथि : 23 / 11 / 2026 के अपराहन 3.30 बजे
निविदा जमा करने की आरंभ तिथि : 27 / 11 / 2026 के अपराहन 3.00 बजे
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 07 / 12 / 2026 के अपराहन 3.00 बजे
निविदा खोलने की तिथि : 07 / 12 / 2026 के अपराहन 3.30 बजे
निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते है।
TENDER ID: 2026_APWD_25916_1

कार्यपालक अभियंता, कार्यशाला मण्डल,
अ॰लो॰नि॰वि॰, श्री विजय पुरम

E-Tender Notice

E-tender Notice No. No.1-86/GP/NN/LA/SWM/2026-27/314 Dated 12.11.2026

Online e-tenders are invited on behalf of the Pradhan, Gram Panchayat Netaji Nagar, under two-bid system (Technical & Financial) for hiring of one Pick-up Van (capacity 2 MT) for transportation of garbage from all ward areas to the Solid Waste Management Cluster, Netaji Nagar.
EMD : Rs. 10,000/-
Last date of submission : 02.12.2026 up to 4:00 PM
Date of opening (Technical Bid) : 03.12.2026 at 11:00 AM
Tender documents & detailed terms are available at: https://eprocure.andamannicobar.gov.in
Bids must be submitted online only.
Pradhan, Gram Panchayat Netaji Nagar reserves the right to accept/reject any or all bids without assigning any reason.

Pradhan
Gram Panchayat, Netaji Nagar

चीनी बिक्री का कोटा 13 लाख मीट्रिक टन तय, सरकार ने जारी किए निर्देश



नई दिल्ली, 13 नवम्बर।

केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने नवंबर की दूसरी छमाही के लिए घरेलू बाजार में चीनी बिक्री का कोटा 13 लाख मीट्रिक टन तय किया है। विभाग ने शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी। सरकार ने चीनी मिलों को नवंबर महीने में 30 नवंबर तक उत्पादित चीनी को दूसरी छमाही के लिए तय बिक्री कोटे के अलावा बेचने की अनुमति भी दी है। यह सुविधा उन मिलों पर लागू होगी, जिन्होंने नवंबर में गन्ने की पेराई शुरू की है या अक्टूबर में ही पेराई शुरू कर दी थी।

सरकार के अनुसार, जिन चीनी मिलों ने इस साल अक्टूबर में पेराई शुरू कर दी थी, उन्हें अक्टूबर में उत्पादित चीनी को नवंबर के दौरान बेचने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। सरकार ने सितंबर 2026 से चीनी बिक्री के पुराने मासिक कोटा सिस्टम को बदलकर 15 दिन के कोटा सिस्टम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य चीनी की कीमतों में .त्रिम उतार–चढ़ाव, कम कीमत पर बिक्री और महीने के अंत में चीनी का भंडारण जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना है। इसके तहत घरेलू बाजार में चीनी की बिक्री के लिए प्रत्येक मिल का कोटा अब हर 15 दिन में तय किया जाता है। सरकार ने यह भी तय किया है कि प्रत्येक चीनी मिल को 15 दिन के लिए आवंटित कोटे की कम से कम 40 प्रतिशत मात्रा पहले सप्ताह में बेचनी होगी। बची हुई मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।

सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाए हैं। एक समय देश के कई खुदरा बाजारों में चीनी की कीमत 70 रुपए प्रति किलो से अधिक हो गई थी। बयान में कहा गया है कि 12 नवंबर तक देश के प्रमुख शहरों में खुदरा चीनी की कीमत 61 से 66 रुपए प्रति किलो के बीच रही। वहीं, पूरे देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 60.53 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई। सरकार ने त्योहारों के मौसम में उचित कीमतों पर चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क–मुक्त आयात की समयसीमा भी दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है।

वित्त मंत्रालय ने 20 अगस्त को 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क–मुक्त आयात की अनुमति 31 अक्टूबर तक दी थी। इसके बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर इसकी अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी। सरकार की ओर से अधिक चीनी आयात की अनुमति दिए जाने की घोषणा के बाद घरेलू बाजार में कीमतों में गिरावट आई है, जिसके चलते फिलहाल चीनी का आयात कम रहा है। सरकार का मानना है कि आयात की समयसीमा बढ़ाने से घरेलू कीमतों में दोबारा तेजी आने की स्थिति में बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। सरकार के मुताबिक, आयात की अनुमति देने से महंगाई बढ़ने की आशंकाएं भी कम होती हैं। इससे घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव घटता है और विदेशी खेप के भारत पहुंचने से पहले ही व्यापारी अपने स्टॉक को बाजार में निकालने लगते हैं।

चीनी की उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने आयात की अनुमति देने के अलावा कई अन्य कदम भी उठाए हैं। इनमें व्यापारियों के लिए चीनी के स्टॉक की सीमा तय करना भी शामिल है। सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना और कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के दौर को नियंत्रित करना है। (IANS)

भारत–इटली सहयोग को बढ़ावा

नई दिल्ली, 13 नवम्बर।

भारत और इटली ने वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों ने कहा कि वैज्ञानिक सहयोग आपसी संबंधों को मजबूत करने, एक–दूसरे के प्रति समझ बढ़ाने और टिकाऊ आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह और इटली की विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान मंत्री अन्ना मारिया बर्निनी ने रोम में आयोजित दूसरे भारत–इटली विज्ञान एवं नवाचार संवाद के दौरान इस प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों मंत्रियों ने संबंधित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के क्रियान्वयन को लेकर निरंतर संवाद बनाए रखने और दोनों देशों के वैज्ञानिक एवं नवाचार तंत्र के बीच व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। इसका उद्देश्य दोनों देशों को ठोस और दीर्घकालिक लाभ पहुंचाना है। इस अवसर पर दोनों पक्षों ने भारत और इटली के बीच लंबे समय से चले आ रहे वैज्ञानिक एवं तकनीकी संबंधों को भी याद किया। –(इनपुटः आईएएनएस)

अक्टूबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 6.09% पर पहुंची, खाद्य महंगाई भी बढ़कर 8.94% हुई



नई दिल्ली, 13 नवम्बर।

भारत में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में सालाना आधार पर बढ़कर 6.09 प्रतिशत (प्रोविजनल) हो गई है, यह सितंबर 2026 में दर्ज 5.54 प्रतिशत (फाइनल) के मुकाबले 0.55 प्रतिशत अधिक है। यह जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों में दी गई। मंत्रालय ने बताया कि देश में अक्टूबर में ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर 6.63 प्रतिशत रही है। वहीं, शहरी इलाकों में यह 5.41 प्रतिशत रही है। अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर में तेज बढ़ोतरी देखी गई है और यह सितंबर के 7.74 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 8.94 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

इस दौरान ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर 9.09 प्रतिशत रही है। वहीं, शहरी इलाकों में यह 8.68 प्रतिशत पर थी। मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में सालाना आधार पर जिन पांच वस्तुओं के दाम में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है, उनमें प्याज (116.22 प्रतिशत), लहसुन (60. 74 प्रतिशत), सिल्वर ज्वेलरी (52.39 प्रतिशत), अदरक (48.32 प्रतिशत) और नींबू (47.30 प्रतिशत) शामिल हैं।

वहीं, इस दौरान सालाना आधार पर जिन पांच वस्तुओं के दाम में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है, उनमें आलू (–14.24 प्रतिशत), फूलगोभी (–10. 57 प्रतिशत), नारियल (–5.60 प्रतिशत), बैंगन (–3.34 प्रतिशत) और पत्तागोभी (–1.92 प्रतिशत) शामिल हैं।

इसके अलावा, अक्टूबर में खुदरा महंगाई में तमिलनाडु (7.29 प्रतिशत), तेलंगाना (7.26 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (7.25 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (7.19 प्रतिशत) और ओडिशा (7.17 प्रतिशत) के साथ देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल थे। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन के फील्ड स्टाफ द्वारा सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 1407 शहरी बाजारों (ऑनलाइन बाजारों सहित) और 1465 गांवों से साप्ताहिक रोस्टर के अनुसार व्यक्तिगत रूप से जाकर रियल–टाइम मूल्य डेटा एकत्र किया जाता है। अक्टूबर 2026 के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में रिस्पॉन्स रेट 100 प्रतिशत रहा। (इनपुट–आईएएनएस)

जेनसन हुआंग ने छोड़ा एनवीडिया का सीईओ पद

नई दिल्ली, 13 नवम्बर।

दुनिया की प्रमुख चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेनसन हुआंग ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विवाहेतर संबंधों से जुड़े विवादों और चीन से संबंधित जासूसी के संदेहों के बीच उनका यह फैसला सामने आया है। कंपनी ने मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है और स्थायी उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी है। हुआंग के इस्तीफे से एनवीडिया के नेतृत्व और भविष्य की रणनीति को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कंपनी ने कहा है कि वह स्थायी सीईओ के चयन के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों विकल्पों पर विचार कर रही है। कोलेट क्रेस के अलावा लंबे समय से कंपनी में काम कर रहे इंजीनियर इयान बक को भी संभावित उम्मीदवारों में माना जा रहा है। हुआंग कंपनी के सह–संस्थापक हैं और तीन दशक से अधिक समय से एनवीडिया से जुड़े रहे हैं। उनके पास कंपनी की 3.61 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जिससे वह इसके चौथे सबसे बड़े शेयरधारक थे। इस्तीफे के साथ वह कंपनी के निदेशक मंडल से भी हट जाएंगे। कंपनी ने पूर्व सिनॉप्सिस सीईओ और लंबे समय से निदेशक रहे हार्वे जोन्स को अपना पहला बोर्ड चेयरमैन नियुक्त किया है। इस घटनाक्रम का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। गुरुवार को एनवीडिया के शेयर 4.3 प्रतिशत गिरकर बंद हुए, हालांकि कारोबार के बाद इनमें एक प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों एएमडी और ब्रॉडकॉम के शेयरों में करीब छह प्रतिशत की तेजी आई। एनवीडिया के लिए हुआंग का नेतृत्व बेहद महत्वपूर्ण रहा है। कंपनी के चिप्स की एक साथ बड़ी संख्या में गणनाएं करने की क्षमता ने उन्हें एआई उद्योग की बुनियादी तकनीक का अहम हिस्सा बना दिया। एआई कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग के कारण अक्टूबर की शुरुआत तक कंपनी के शेयरों में सात गुना तक उछाल आया था और एक समय उसका बाजार मूल्य लगभग छह लाख करोड़ डॉलर पहुंच गया था। –(इनपुटः रॉयटर्स)